Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

फरवरी (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- हरियाणा ने 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया 3
- मिशन कर्मयोगी हरियाणा 3
- सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम पर किसानों को सब्सिडी 4
- हरियाणा में निजी क्षेत्र के रोज़गार में आरक्षण के संबंध में केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस 4
- हरियाणा सीआईडी ने साइबर अपराध जाँच कौशल बढ़ाने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये 5
- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 5
- दृष्टिबाधित बालिका को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया 6
- हरियाणा के प्रत्येक शहर में पंचकर्म केंद्र 7
- प्रदूषण की जाँच के लिये ज़िलों में समन्वय पैनल 7
- 37वाँ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 8
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी 8
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 56 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी 8
- किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च 9
- हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिये प्रतिबद्ध 10
- जन सहायक हेल्प मी ऐप के माध्यम से सेवाएँ और सूचनाएँ 10
- साहसिक खेल प्रतियोगिता 11
- यमुना जल साझाकरण हेतु समझौता 11
- प्रधानमंत्री ने एम्स, रेवाड़ी की आधारशिला रखी 12
- हरियाणा बजट सत्र 14
- हरियाणा: किसान कल्याण के लिये समर्पित 14
- विकसित भारत-विकसित हरियाणा 16
- 37वाँ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 17
- हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएगी 17
- गुड़गाँव मैराथन का पहला संस्करण 18
- सवेरा कार्यक्रम 19
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका 20
- हरियाणा बजट 2024-25 20
- हरियाणा सरकार ने शवों के निपटान पर विधेयक वापस लिया 22

नोट :

हरियाणा

हरियाणा ने 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 17 ज़िलों में फैली 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया।

मुख्य बिंदु:

- नियमित की गई 91 कॉलोनियाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधीन हैं, जबकि 173 कॉलोनियाँ शहरी स्थानीय विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।
- सीएम के अनुसार, राज्य सरकार ने व्यापक शहरी विकास और सामुदायिक कल्याण की दिशा में एक कदम उठाते हुए अब तक 2,101 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया है।
- नियमितीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इन कॉलोनियों में निवासियों को सड़क, सीवरेज, जल की आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट आदि सहित बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- इन कॉलोनियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार ने कॉलोनियों के अंदर विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने के लिये 54 करोड़ रुपए के प्रारंभिक वितरण के साथ 438 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंज़ूरी दी है।

मिशन कर्मयोगी हरियाणा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने 'मिशन कर्मयोगी हरियाणा' शुरू किया है, जो एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य सभी तीन लाख सरकारी कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं में अधिक नागरिक-केंद्रितता और नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षित करना है।

मुख्य बिंदु:

- इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, एथिक्स कॉन्क्लेव ('नैतिकता शिविर') क्रमशः 31 जनवरी और 06 फरवरी को करनाल व पंचकुला में आयोजित किये जाएंगे।
- कर्मयोगी हरियाणा परियोजना के लिये एक विशेष मंच के रूप में डिज़ाइन किये गए ये सत्र राज्य सरकार के सभी IAS/IPS/IFS/अन्य सेवाओं/HCS अधिकारियों को लक्षित करते हैं।
  - नैतिकता शिविर कार्यस्थल नैतिकता, अखंडता एवं चुनौतियों, प्रलोभनों और प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने सही निर्णय लेने की संस्कृति विकसित करने के महत्त्व पर ज़ोर देंगे। अंतर्दृष्टि साझा करने और व्यावहारिक उदाहरण प्रदर्शित करने के लिये प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है।
- कर्मयोगी मॉड्यूल का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया जाएगा, जो प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का विहंगम दृश्य प्रदान करेगा।

मिशन कर्मयोगी

- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में पूर्व-भर्ती परिवर्तनों के समान केंद्र में मानव संसाधन विकास का एक व्यापक भर्ती-पश्चात सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिये तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है।
- इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, तर्कसाध्य, कल्पनाशील, सक्रिय, नवीन, प्रगतिशील, पेशेवर, ऊर्जावान, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर भविष्य के लिये तैयार करना है।
- कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र का व्यापक सुधार।

नोट :

सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम पर किसानों को सब्सिडी

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिये ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर 19 जनवरी 29 जनवरी 2024 तक किये जा सकेंगे।

मुख्य बिंदु:

- पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करके सिंचाई का अवसर प्रदान करना है।
- इसके तहत 3 Hp से 10 Hp सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिये आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
- चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।
- हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गाँवों जहाँ भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है।
- अन्य किसानों को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

- पीएम-कुसुम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है।
- यह मांग-संचालित दृष्टिकोण पर कार्य करती है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।
- विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से पीएम-कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक 30.8 गीगावॉट की महत्त्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है।

हरियाणा में निजी क्षेत्र के रोज़गार में आरक्षण के संबंध में केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से उत्तर मांगा, जिसमें राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र में रोज़गार में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को 'असंवैधानिक' घोषित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी, 2022 से लागू हुए हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोज़गार अधिनियम, 2020 के खिलाफ कई याचिकाएँ स्वीकार की थीं और राज्य के उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में रोज़गार में 75% आरक्षण प्रदान किया था।
  - इसमें अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपए तक की मज़दूरी देने वाले रोज़गार शामिल थे।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की राय थी कि इस मुद्दे पर कानून बनाना तथा निजी नियोक्ताओं को 30,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के लिये खुले बाज़ार से भर्ती करने से रोकना राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
- उच्च न्यायालय ने देखा था कि हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं होने वाले नागरिकों के एक समूह को द्वितीयक दर्जा प्रदान करके और उनकी आजीविका के मौलिक अधिकारों में कटौती करके संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उल्लंघन किया गया है।
- इसमें यह भी कहा गया था कि संविधान के तहत नागरिकों के बीच उनके जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर रोज़गार के मामलों में भेदभाव पर रोक है।

नोट :

नोट:

- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी अधिवासियों के लिये रोज़गार आरक्षण विधेयक या कानून की घोषणा की गई है।
- वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में पारित रोज़गार कोटा विधेयक में स्थानीय लोगों के लिये तीन-चौथाई निजी पद भी आरक्षित किये गए।

अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में रोज़गार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता प्रदान करता है।
- किसी भी पिछड़े वर्ग के लिये नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के प्रावधान हैं जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

हरियाणा सीआईडी ने साइबर अपराध जाँच कौशल बढ़ाने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के आपराधिक अन्वेषण विभाग (CID) और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संगठन, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) ने व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर अपराध जाँच में कानून प्रवर्तन कर्मियों के कौशल को बढ़ाने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम में साइबर फोरेंसिक विश्लेषण, साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और सामाजिक खुफिया तरीकों में प्रशिक्षण शामिल होगा।
- MoA के तहत, हरियाणा CID अपनी साइबर फोरेंसिक क्षमता निर्माण और अनुसंधान पहल को मज़बूत करने के लिये C-DAC के साथ सहयोग करेगी।
- दूसरी ओर, C-DAC सोशल मीडिया और साइबर अपराध के लिये समाधान विकसित करेगा, सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा तथा अनुसंधान प्रयासों के लिये सहायता प्रदान करेगा।
- यह सहयोग साइबर अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

आपराधिक अन्वेषण विभाग (CID)

- ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1902 में स्थापित, CID राज्य पुलिस का एक जाँच और खुफिया विभाग है। दूसरी ओर, CBI केंद्र सरकार की एक एजेंसी है।
- CID संबंधित उच्च न्यायालयों के निर्देशानुसार हत्या, हमले, दंगा या किसी भी मामले की जाँच कर रही है।

उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC)

- C-DAC आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- भारत का पहला सुपरकंप्यूटर PARAM 8000 स्वदेशी रूप से (वर्ष 1991 में) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा बनाया गया था।
- इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (HRTSC) के मुख्य आयुक्त के अनुसार, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शुरू की गई ऑटो अपील प्रणाली (AAS) नागरिकों को सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- HRTSC ने चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन (IDC) द्वारा आयोजित एक विस्तृत अध्ययन "हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के कार्यान्वयन का तुलनात्मक मूल्यांकन" के निष्कर्षों की समीक्षा की।
- IDC अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा एक मज़बूत शिकायत निवारण मंच प्रदान करके एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। HRTSC द्वारा ऑटो अपील तंत्र का प्रभावी कार्यान्वयन और दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाने से नागरिकों को परेशानी मुक्त सेवाएँ सुनिश्चित हो रही हैं।
- सार्वजनिक सेवाओं की समय पर और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 सितंबर, 2021 को AAS लॉन्च किया।
  - AAS लॉन्च होने से पहले, सेवा वितरण में देरी की स्थिति में अपील को मैन्युअल रूप से दाखिल करने का प्रावधान था। हालाँकि, यह बोझिल था, जिसके कारण नागरिक अपील दायर करने के लिये आगे नहीं आ रहे थे।
- अब यदि किसी व्यक्ति का कार्य समय पर नहीं होता है और वह कार्य सेवा का अधिकार कानून के दायरे में आता है तो AAS के तहत आवेदन अपीलीय प्राधिकारी के पास जाता है।
  - अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो आवेदन उच्च अधिकारी के पास चला जाता है। फिर भी अगर इन दोनों स्तरों पर कार्य नहीं होता है तो आवेदन स्वत: आयोग के पास चला जाता है।
- इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों से पता चला कि लाभार्थियों में से 73% को अनुरोध के अनुसार सेवा प्राप्त हुई और 46% लाभार्थी समग्र आवेदन प्रक्रिया से संतुष्ट थे।
- इन निष्कर्षों में यह भी बताया गया है कि AAS ने अपील प्रणाली को कागज़ रहित बना दिया है और नागरिकों द्वारा पहले उठाए जाने वाले कानूनी बोझ एवं अपनी जेब से होने वाली लागत को कम कर दिया है।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014

- इसे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये हरियाणा राज्य के तहत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता के लिये एक प्रभावी ढाँचा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम ने लोगों को एक प्रभावी सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से परेशानी मुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करने का अधिकार दिया है।
- निर्धारित समय-सीमा के भीतर और बिना किसी परेशानी के प्रदान की जाने वाली सेवाएँ सरकारी कामकाज की विश्वसनीयता को बढ़ाएँगी। इससे सरकार द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में लोगों की अधिकतम अपेक्षाएँ भी पूरी होंगी।

दृष्टिबाधित बालिका को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया

चर्चा में क्यों ?

महेंद्रगढ़ ज़िले की दृष्टिबाधित बालिका गरिमा को नई दिल्ली में समाज सेवा श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' दिया गया।

- उन्हें "साक्षर पाठशाला" की उनकी वीरतापूर्ण पहल के लिये सम्मानित किया गया, जिसमें उनके द्वारा 1000 से अधिक छात्रों को शिक्षा के लिये जोड़ा गया था।

मुख्य बिंदु:

- यह पुरस्कार पूरे देश से 19 युवाओं को प्रदान किया गया। ये बच्चे 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं।
- गरिमा अपनी "साक्षर पाठशाला" के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी के व्यक्तियों और बच्चों को जीवन में शिक्षा के महत्त्व तथा यह कैसे प्रगति की राह पर ले जाती है, के बारे में प्रोत्साहित तथा प्रेरित करती है।
  - शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और बच्चे के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह उन्हें देश की प्रगति में योगदान करने की अनुमति भी देता है।

नोट :

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी, संस्कृति, पर्यावरण, कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।
- वर्ष 2024 के लिये कुल 19 बच्चों का चयन किया गया, जिनमें से 4 समाज सेवा श्रेणी में थे।

हरियाणा के प्रत्येक शहर में पंचकर्म केंद्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि राज्य के प्रत्येक शहर में पंचकर्म केंद्र खोले जायेंगे।

- पर्यटन स्थलों पर टूरिज़्म वेलनेस सेंटर भी स्थापित किये जायेंगे।

मुख्य बिंदु:

- मंत्री ने आयुष विभाग के भीतर एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की भी घोषणा की।
- राज्य में आयुष को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाए गए हैं:
  - 5,500 आयुष योग सहायकों की जल्द ही भर्ती की जाएगी और उन्हें शहरी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित पार्कों, धर्मशाला तथा सामुदायिक केंद्रों में योग प्रशिक्षण की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी।
  - हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के माध्यम से आयुष योग निरीक्षकों और प्रशिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी।
  - प्रथम चरण में राज्य में 1121 व्यायामशालाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 656 आयुष विभाग को सौंपी गई हैं।
  - योग केंद्रों और सामुदायिक स्थानों पर 892 योग सहायक नियुक्त किये गए हैं। अगले चरण में 1353 नये योग केंद्र चिह्नित किये गए हैं।
  - श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक फार्मेसी चलाने की मंज़ूरी दे दी गई है और अधिकारियों को विश्वविद्यालय में इनडोर एवं आउटडोर आयुष उपचार सुविधाएँ शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
  - राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अधिकारियों को किसानों के लिये औषधीय पौधों की कृषि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

प्रदूषण की जाँच के लिये ज़िलों में समन्वय पैनल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिये विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए समन्वय समितियों के गठन का आह्वान किया।

मुख्य बिंदु:

- मुख्य सचिव ने रोहतक, पानीपत और करनाल ज़िलों में नालों में सीवेज जल छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया।
- सरकार ने पानीपत ज़िले के 80 गाँवों में उत्पन्न होने वाले 32.7 प्रति दिन मिलियन लीटर (MLD) सीवेज के उपचार और डायवर्ज़न के लिये एक कार्य योजना तैयार की थी।
- इस पहल के हिस्से के रूप में, 38 गाँवों में त्रि-स्तरीय तालाब प्रणाली का उपयोग करके सीवेज उपचार को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जबकि 42 अन्य गाँवों में शुद्धिकरण प्रक्रियाएँ वर्तमान में चल रही हैं।
- मौजूदा सीवेज उपचार बुनियादी ढाँचे में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।
- स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप, पूरे राज्य में सूक्ष्म सिंचाई उद्देश्यों के ये उपचारित सीवेज जल का पुन: उपयोग करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की गई है।
- पानीपत में 'सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से सिंचाई प्रयोजन के लिये उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग' पर परियोजना के चरण - I का कार्यान्वयन।
- चरण - II पहल का उद्देश्य सिंचाई प्रथाओं तथा पर्यावरणीय स्थिरता को और बढ़ाना है।

नोट :

37वाँ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के सूरजकुंड में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- यह हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का एक प्रभावी मंच है। यह मेला एक कला प्रदर्शनी और व्यापार केंद्र, दोनों है।
- यह मेला हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तथा विविधता को प्रदर्शित करता है।
- मेले में लगभग 50 देश भाग लेंगे। इन देशों में इथियोपिया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, ज़िम्बाब्वे, मॉरीशस, म्याँमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका समेत अन्य शामिल हैं।
  - शिल्प मेले में तंज़ानिया ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया।
- गुजरात थीम राज्य है जो क्षेत्र के विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति तथा समृद्ध विरासत का प्रदर्शन कर रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने 5 ज़िलों अर्थात् जींद, हिसार, सिरसा, कैथल और भिवानी में ग्रामीण संवर्धन तथा महाग्राम योजना के तहत 190 करोड़ रुपए से अधिक की 33 नई परियोजनाएँ लागू करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- महाग्राम योजना के तहत नए कार्यों में शामिल हैं:
  - 43.91 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गाँव नगुरां, ज़िला जींद में जल आपूर्ति प्रणाली का संवर्धन और जल कार्यों का निर्माण।
  - 25.31 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गाँव नगूरां, ज़िला जींद में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना।
  - 10.63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गाँव खेदड़, ज़िला हिसार में जल आपूर्ति योजना का उन्नयन।

ग्रामीण संवर्धन एवं महाग्राम योजना

- यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में विकास एवं पंचायत विभाग के माध्यम से शुरू की गई थी।
- इसमें सीवरेज प्रणाली, पेयजल आपूर्ति में सुधार, पक्की सड़कों का निर्माण, विद्युत व्यवस्था में सुधार आदि की परिकल्पना की गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 56 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने सिरसा, हिसार, पलवल, महेंद्रगढ़, झज्जर और रेवाड़ी ज़िलों में ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 56.4 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाएँ लागू करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।
- अधिकारियों के अनुसार, जलापूर्ति योजना में शामिल हैं:
  - नियाना गाँव, हिसार में जल आपूर्ति में सुधार के लिये 2.95 करोड़ रुपए;
  - कुरांगवाली, सिरसा में जल आपूर्ति योजना और वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिये 5.9 करोड़ रुपए
  - रेवाड़ी के सात गाँवों में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के लिये 16.9 करोड़ रुपए;

नोट :

- झज्जर के नेओला ब्लॉक में स्वतंत्र जल कार्य प्रदान करने के लिये 6.2 करोड़ रुपए
- महेंद्रगढ़ की नांगल सिरोही तहसील में बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण के लिये 2.7 करोड़ रुपए।

ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम के तहत, गतिविधियों की एक शृंखला शुरू करके गाँवों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार/मज़बूतीकरण किया जाता है, जिसमें अतिरिक्त ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं का विस्तार, नए नहर आधारित जल कार्यों का निर्माण, बूस्टिंग स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा वितरण प्रणाली को मज़बूत करना आदि शामिल हैं।

किसानों का 'दिल्ली चलो' मार्च

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के 'दिल्ली चलो' आंदोलन के दौरान किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिये हरियाणा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कम-से-कम 50 कंपनियाँ तैनात की हैं।

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा पुलिस ने किसानों से राजधानी तक प्रस्तावित मार्च में बिना अनुमति के भाग नहीं लेने को कहा है।
  - आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हरियाणा सरकार ने केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कम-से-कम 64 कंपनियों को तैनात करने का अनुरोध किया था।
- वर्ष 2020 में, किसानों ने तीन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो वर्ष 2021 में दिल्ली सीमाओं पर उनके विरोध प्रदर्शन के एक वर्ष के बाद निरस्त कर दिये गए थे।
- निम्नलिखित मांगों को लेकर दिसंबर 2023 में दिल्ली चलो की घोषणा की गई:
  - सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी।
  - स्वामीनाथन आयोग फार्मूला लागू करना।
  - किसानों की पूर्ण ऋण माफी।
  - किसानों और मज़दूरों के लिये पेंशन।
  - वर्ष 2020-21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेना।
- किसान विरोध 2.0 का नेतृत्व विभिन्न यूनियनों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020 के विरोध के बाद किसान संघों में कई गुटबाज़ी देखी गई।
  - 'दिल्ली चलो' मार्च में देशभर से 200 से ज़्यादा किसान संगठन हिस्सा लेंगे।
- किसानों को दिल्ली में प्रवेश न करने देने के लिये उठाए गए कदम:
  - दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है।
  - हरियाणा सरकार ने पंजाब के साथ अपनी सीमाएँ सील कर दीं।
  - कंटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड, सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं।
  - राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्रवेश बिंदुओं पर व्यापक सुरक्षा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है।
- MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।

स्वामीनाथन आयोग

- स्वामीनाथन आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी।

नोट :

- इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक तक बढ़ाना चाहिये। इसे C2+ 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है।
- इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिये पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया (जिसे 'C2' कहा जाता है) शामिल है।

रैपिड एक्शन फोर्स (RAF)

- यह दंगा और भीड़ नियंत्रण स्थितियों से निपटने के लिये अक्तूबर 1992 में स्थापित केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक विशेष त्वरित प्रतिक्रिया शाखा है।
- यह एक शून्य-प्रतिक्रिया बल है जिसे कम-से-कम समय के भीतर संकट की स्थितियों में तैनात किया जा सकता है, जिससे आम जनता में विश्वास और सुरक्षा उत्पन्न होती है।

हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिये प्रतिबद्ध

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिये प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय रूप से भाग ले रही है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे।

मुख्य बिंदु:

- 41,64,673 लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है।
- यात्रा के दौरान सांसद, मंत्री, विधायक और अधिकारी लोगों की समस्याएँ सुनते हैं तथा समाधान करते हैं। वे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराते हैं।
- वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये, यात्रा 16 नवंबर, 2023 को शुरू की गई थी। इसने हरियाणा में 6,718 ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों को कवर किया है।
  - विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जाँच के लिये स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। निरोगी हरियाणा के तहत 46 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गईं।
  - यात्रा के दौरान 7,000 से अधिक स्थानीय एथलीटों को प्रमुख हस्तियों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इससे हरियाणा में उभरती खेल प्रतिभाओं में नई ऊर्जा आई है।

जन सहायक हेल्प मी ऐप के माध्यम से सेवाएँ और सूचनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार की सेवाओं और सूचनाओं तक अब जन सहायक हेल्प मी ऐप के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

- जन सहायक हेल्प मी ऐप के माध्यम से सेवाओं और सूचनाओं के लाभों तक पहुँचने के लिये मोबाइल नंबर या परिवार पहचान-पत्र का उपयोग करके पंजीकरण आवश्यक है।
- ऐप विभागों द्वारा वर्गीकृत विभिन्न सरकारी सेवाओं के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें डायल 112, पुलिस (100), एम्बुलेंस (108) और अधिक जैसी आपातकालीन सेवाएँ शामिल हैं।
- नागरिक बिल भुगतान से लेकर रोज़गार लिस्टिंग और कौशल विकास के अवसरों तक की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- हरियाणा जन सहायता ऐप के माध्यम से, नागरिक सूखा राशन वितरण, पका हुआ भोजन, डॉक्टर परामर्श, शिक्षा, यात्रा पास, वित्तीय सहायता, गैस सिलेंडर बुकिंग, एम्बुलेंस सेवाओं आदि जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- ऐप के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी सेवा के अनुरोध को आवश्यक कार्रवाई के लिये तुरंत संबंधित ज़िला अधिकारियों को भेज दिया जाता है।

नोट :

जनसहायक मोबाइल ऐप

- यह हरियाणा सरकार की सभी सरकारी सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइनों और अन्य सूचना सेवाओं तक पहुँचने के लिये नागरिकों को एक एकल इंटरफ़ेस प्रदान करने की एक पहल है।
- यह अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में एक द्विभाषी मोबाइल ऐप है।

परिवार पहचान पत्र (PPP)

- इसे अंत्योदय की भावना से 1 नवंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था।
- यह राज्य सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को सभी सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं का लाभ प्रदान करना है।
- हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने प्रत्येक परिवार के लिये परिवार पहचान-पत्र बनाने की योजना बनाई है। अभी तक देश या विदेश में ऐसी कोई योजना शुरू नहीं हुई है।

साहसिक खेल प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

राज्य के शिवालिक और अरावली पर्वत शृंखलाओं में साहसिक खेलों एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप, नेशनल एडवेंचर क्लब ने 2 से 10 फरवरी, 2024 तक मोरनी हिल्स में 30वें राष्ट्रीय साहसिक उत्सव का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु:

- इस महोत्सव में बांग्लादेश के सात प्रतिभागियों की एक टीम के साथ पूरे देश से 16-45 आयु वर्ग के लगभग 275 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया।
- प्रतियोगिताओं में ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, रिपेलिंग, रिवर राफ्टिंग, स्नो स्कीइंग, तीरंदाज़ी, कमांडो बाधा, रिवर क्रॉसिंग आदि गतिविधियाँ शामिल थीं।
- नेशनल एडवेंचर क्लब ने प्रतिष्ठित साहसिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित "भारत गौरव" और "अदम्य साहस पुरस्कार" पुरस्कारों से सम्मानित किया।
  - इंस्पेक्टर राम लाल को "अदम्य साहस पुरस्कार" से सम्मानित किया गया जिसमें 31,000 रुपए का नकद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और एक पट्टिका शामिल थी।

यमुना जल साझाकरण हेतु समझौता

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर से पानी साझा करने के लिये राजस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें विशेष रूप से बरसात के दिनों में हथिनीकुंड बैराज से अतिरिक्त पानी बहता है।

मुख्य बिंदु:

- समझौते के अनुसार, दोनों राज्य हथिनीकुंड बैराज की पश्चिमी यमुना नहर से पाइपलाइन बिछाने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- तीन पाइप सीकर, झुंझुनू और चूरू ज़िलों के लिये होंगे, जबकि दादरी ज़िले के माध्यम से दक्षिणी हरियाणा की ओर पानी ले जाने हेतु एक अतिरिक्त पाइप बिछाया जाएगा।

सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर

- इस मुद्दे की मूल जड़ वर्ष 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किये जाने के बाद वर्ष 1981 का एक विवादास्पद जल-बँटवारा समझौता है।

नोट :

- पंजाब:
  - पंजाब पड़ोसी राज्यों के साथ किसी भी अतिरिक्त जल के बंटवारे का कड़ा विरोध करता है। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पंजाब में अतिरिक्त जल की कमी है और पिछले कुछ वर्षों में उनके जल आवंटन में कमी हुई है।
  - वर्ष 2029 के बाद पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सिंचाई के लिये राज्य पहले ही अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है क्योंकि गेहूँ तथा धान की खेती करके यह केंद्र सरकार को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है।
  - राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन है और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा करना असंभव है।
- हरियाणा:
  - पंजाब, हरियाणा के हिस्से का जल उपयोग कर रहा है, इसलिये हरियाणा बढ़ते जल संकट का हवाला देते हुए नहर के कार्य को पूरा करने की मांग करता है।
  - हरियाणा का तर्क है कि राज्य में सिंचाई के लिये जल उपलब्ध कराना कठिन है और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में पीने के पानी की समस्या है जहाँ भूजल स्तर 1,700 फीट तक कम हो गया है।
  - हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल (Central Food Pool) में अपने योगदान का हवाला देता रहा है और तर्क देता है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा किये गए मूल्यांकन के अनुसार उसे उसके जल के उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने एम्स, रेवाड़ी की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मौजूदगी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रेवाड़ी की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु:

- समारोह के दौरान, पीएम ने विकसित भारत के विज़न पर प्रकाश डालते हुए वर्ष 2047 तक देश को आगे बढ़ाने में स्वास्थ्य क्षेत्र के महत्त्व को रेखांकित किया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स की स्थापना को मंज़ूरी दे दी गई है।
  - PMSSY का लक्ष्य सस्ती और विश्वसनीय विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना तथा देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिये सुविधाओं को बढ़ाना है।
  - PMSSY के तहत 22 नए एम्स की स्थापना को मंज़ूरी दी गई है। इनमें से 15 एम्स को वर्ष 2014 से मंज़ूरी दी गई है।
- यह नया एम्स हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के माजरा मस्तिल भालखी गाँव में 203 एकड़ भूमि पर 1650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है।

विज़न इंडिया@2047

- विज़न इंडिया@2047 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका या ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिये भारत के शीर्ष नीति थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है।
- परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देश बनाना है जो मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण के मामले में भी एक मॉडल देश होगा और पर्यावरणीय संवहनीयता का प्रबल पक्षसमर्थक होगा।

नोट :

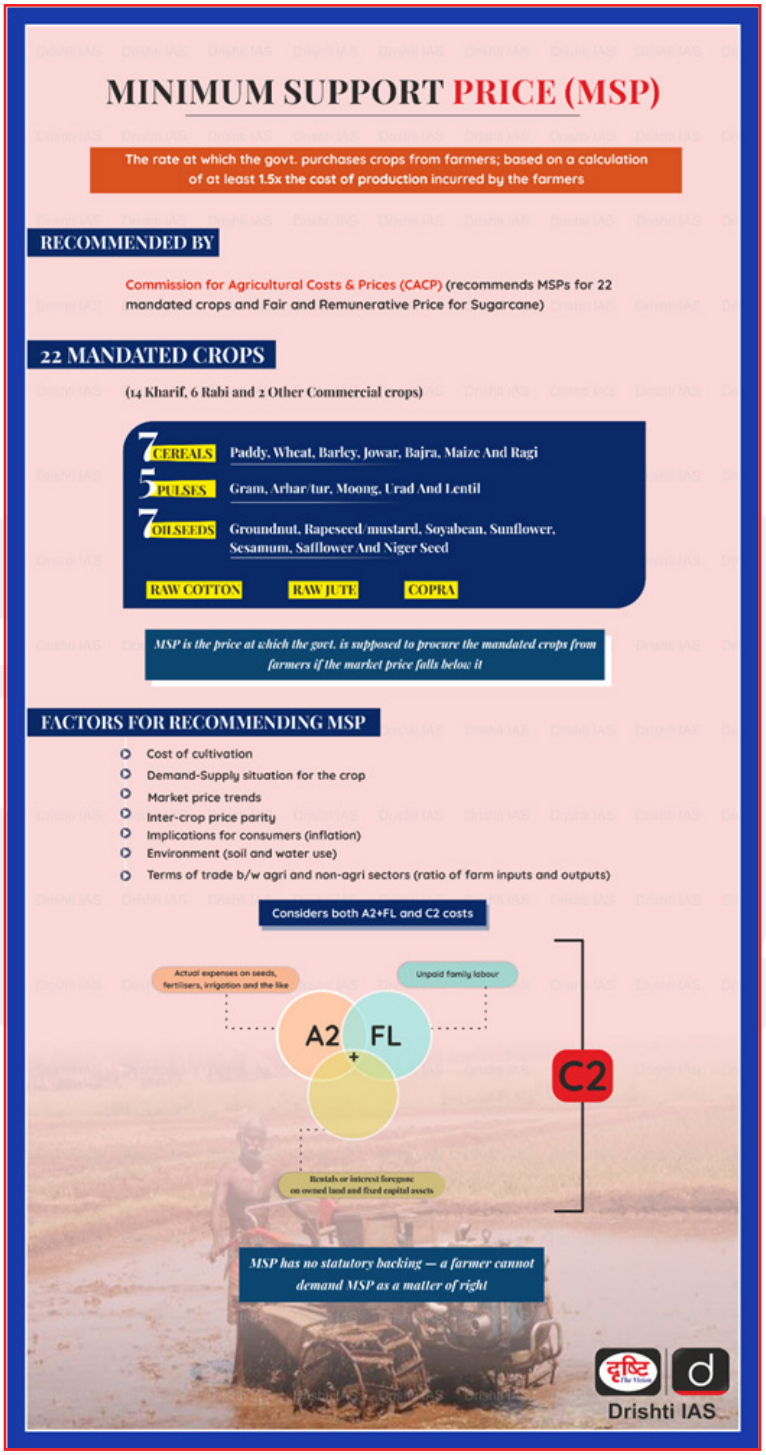

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

- इसकी घोषणा वर्ष 2003 में किफायती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिये सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

नोट :

- नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है।
- इसके दो घटक हैं:
  - एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करना।
  - विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना।
    - प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की लागत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वहन की जाती है।

हरियाणा बजट सत्र

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 23 फरवरी, 2024 को विधानसभा में लगातार पाँचवीं बार बजट पेश करेंगे।

मुख्य बिंदु:

- विपक्ष ने सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
- फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिये वैधानिक समर्थन मांगने की किसान संगठनों की मांग कार्यवाही की प्रमुख विशेषता होने की संभावना है।
  - मार्च 2021 में, विपक्ष ने गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे सत्तारूढ़ गठबंधन ने सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 87 विधायकों में से 55 वोट प्राप्त करके आराम से पारित कर दिया।
  - यह प्रस्ताव तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के बीच असंतोष के बीच लाया गया था।

अविश्वास प्रस्ताव

- यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिये लोकसभा (राज्यसभा में नहीं) में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है।
- प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा।
- अविश्वास प्रस्ताव एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आमतौर पर तब घटित होती हैं जब यह धारणा बनती है कि सरकार बहुमत का समर्थन खो रही है।

बजट

- बजट, सरकार के 'व्यय', कर लगाने की योजना है और अन्य लेन-देन, जो अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, का ब्लूप्रिंट होता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का 'बजट प्रभाग' बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है।

हरियाणा: किसान कल्याण के लिये समर्पित

चर्चा में क्यों ?

राज्यपाल दत्तात्रेय के मुताबिक, सरकार ने हमेशा गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण तथा उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

मुख्य बिंदु:

- सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन पर आधारित राज्य के सर्वांगीण, व्यापक तथा समावेशी विकास के लिये अथक प्रयास कर रही है।

नोट :

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछले चार वर्षों में राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में 4,157.73 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई है।
- राज्य सरकार ने 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदकर एक अनूठी मिसाल कायम की है।
- 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में सीधे 90,000 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है, जबकि भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन 32.06 लाख किसानों की फसलें खराब हुई थीं, उन्हें करीब 8,178 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया है।
  - सरकार ने मृदा के स्वास्थ्य को खराब होने से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये प्राकृतिक कृषि योजना लागू की है।
- 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत 1.72 हज़ार एकड़ भूमि पर धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें बोने के लिये 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 117.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।राज्यपाल ने कहा कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण की सुविधा दी गई है।
- राज्य सरकार ने पराली को किसानों के लिये आय का स्रोत बनाने और पर्यावरण की रक्षा हेतु हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी, 2023 को अधिसूचित किया है।
  - यह नीति पराली आधारित परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करके पराली का उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी।
  - इस नीति के तहत वर्ष 2027 तक फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य है।
- सरकार ने व्यक्तिगत पहचान-पत्र 'आधार' से आगे बढ़कर 'परिवार पहचान-पत्र' के रूप में परिवार की पहचान की व्यवस्था बनाकर इसे हर परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का माध्यम बना दिया है।
- सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है।
- वर्ष 2023 में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 205 मामले दर्ज किये, 152 छापे मारे और 186 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 अराजपत्रित अधिकारी तथा 40 निजी व्यक्ति शामिल थे।
- राज्यपाल ने कहा कि सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

परिवार पहचान-पत्र (PPP) योजना

- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, सेवाओं और लाभों की 'पेपरलेस' एवं 'फेसलेस' उपलब्धता के दृष्टिकोण के साथ हरियाणा सरकार ने जुलाई 2019 में PPP योजना की औपचारिक शुरुआत की थी।
- इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक इकाई/यूनिट माना जाता है तथा उन्हें 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है जिसे पारिवारिक ID कहा जाता है।पारिवारिक ID छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन जैसी स्वतंत्र योजनाओं से भी जुड़ी होती है, ताकि स्थिरता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- यह विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वचालित चयन को भी सक्षम बनाता है
- परिवार पहचान-पत्र (PPP) का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

- इसे 24 फरवरी, 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
- यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

नोट :

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
- इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परिवर्तित कर दिया।
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।

विकसित भारत-विकसित हरियाणा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के माजरा भालखी गाँव में 'विकसित भारत-विकसित हरियाणा' नामक तीन दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी का उद्देश्य आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विकासात्मक पहलों तथा योजनाओं से परिचित कराना है।
- प्रदर्शनी में माजरा-भालखी गाँव में बनने वाले 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) और गुरुग्राम मेट्रो के दो-दो मॉडल प्रदर्शित किये गए।
  - उपस्थित लोगों को एम्स, गुरुग्राम मेट्रो, भारतीय रेलवे जैसे संस्थानों के साथ-साथ भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित किया गया।
- इस आयोजन ने प्रभावी ढंग से युवाओं, महिलाओं और स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाई। इसने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को समझने योग्य तरीके से समझाने के लिये एक सुलभ मंच के रूप में कार्य किया।

नोट :

37वाँ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला

चर्चा में क्यों ?

37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में गुजरात के साधु बेट द्वीप पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर ऊँची प्रतिकृति पर्यटकों के लिये आकर्षण का केंद्र बनी रही।

मुख्य बिंदु:

- मूर्तिकार राम वी. सुतार द्वारा तैयार की गई और वर्ष 2018 में जनता के लिये अनावरण की गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करती है।
  - इस भव्य मूर्तिकला के माध्यम से, राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है।
- पर्यटक गुजरात के प्रमुख पर्यटन गाँव के रूप में प्रशंसित धोर्डो के स्टॉलों की ओर भी आकर्षित हुए।
  - मेले के दौरान, आगंतुकों ने उत्सुकता से गाँव के स्टाल पर प्रदर्शित प्रसिद्ध गरबा नृत्य के क्षणों को कैद किया, जो गुजरात की जीवंत संस्कृति को उजागर करता है।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा गरबा को एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में मान्यता देना गुजरात की विरासत में इसके महत्त्व को रेखांकित करता है। यह सम्मान सामाजिक समावेश और एकता को बढ़ावा देने में गरबा की भूमिका पर ज़ोर देता है, खासकर नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान।

गुजरात का 'धोर्डो'-सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव

- धोर्डो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया है। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में UNWTO द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज़्म विलेज-2023 पुरस्कार समारोह में धोर्डो को यह खिताब मिला।
- यह गाँव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और प्रसिद्ध रण उत्सव के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है।
- UNWTO कुछ मानदंडों को पूर्ण करने वाले गाँवों को "सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव" का खिताब प्रदान करता है।
  - इसके मानदंडों में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर को संरक्षित करना, पर्यटकों के लिये एक सुरक्षित एवं स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना तथा आगंतुकों को अतुलनीय अनुभव प्रदान करना शामिल है।
  - इसके अतिरिक्त गाँव में एक सुविकसित पर्यटन बुनियादी ढाँचा मौजूद है और यह ज़िम्मेदार पर्यटन प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊँची (182 मीटर) मूर्ति है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा (Spring Temple Buddha statue) से 23 मीटर ऊँची तथा अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (93 मीटर लंबा) की ऊँचाई की लगभग दोगुनी है।
- जनवरी 2020 में इसे शंघाई सहयोग संगठन में आठ अजूबों में शामिल किया गया था

हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएगी

चर्चा में क्यों ?

अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ गतिरोध के बीच अंबाला ज़िले में हरियाणा पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों की संपत्ति कुर्क करके तथा बैंक खाते ज़ब्त करके की जाएगी।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- दिल्ली कूच को लेकर किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की लगातार किसान संगठनों द्वारा कोशिश की जा रही है और रोज़ाना पुलिस प्रशासन पर पथराव कर अशांति फैलाकर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
- यदि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (PDPP अधिनियम) में संशोधन किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों के तहत, आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले या आंदोलन का आह्वान करने वाले लोगों और उस संगठन के पदाधिकारियों को किसी भी नुकसान के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।
- हरियाणा लोक प्रशासन संपत्ति वसूली अधिनियम, 2021 के अनुसार, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में, नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करके और बैंक खाते ज़ब्त करके सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान है।
- पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 की कार्रवाई की है।

लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984

- इस अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुँचाता है तो उसे पाँच साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है। इस कानून के प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के साथ जोड़ा जा सकता है।
- इस अधिनियम के अनुसार लोक संपत्तियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है- कोई ऐसा भवन या संपत्ति जिसका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या उर्जा के उत्पादन और वितरण में किया जाता है, तेल संबंधी प्रतिष्ठान, खान या कारखाना, सीवेज संबंधी कार्यस्थल, लोक परिवहन या दूर-संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान तथा संपत्ति आदि।

हरियाणा लोक प्रशासन संपत्ति वसूली अधिनियम, 2021

- विधेयक में दंगों और हिंसक अव्यवस्था सहित वैध या गैरकानूनी, किसी सभा द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान व्यक्तियों द्वारा की गई संपत्तियों के नुकसान की वसूली का प्रावधान है।
- यह पीड़ितों को मुआवज़ा भी सुनिश्चित करता है।
- वसूली न केवल हिंसा में शामिल लोगों से की जाएगी, बल्कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों, आयोजकों, इसकी योजना में शामिल लोगों और प्रोत्साहन प्रदान करने वालों तथा प्रतिभागियों से भी की जाएगी।
- दायित्व निर्धारित करने, क्षति का आकलन करने और मुआवज़ा देने के लिये दावा न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

- NSA सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिये वर्ष 1980 में बनाया गया एक निवारक निरोध कानून है।
- निवारक निरोध कानून भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने और/या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिये उसे हिरासत में लेना है।
- संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (b) राज्य को सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक निरोध तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है कि निवारक नज़रबंदी का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिये हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा।
- यह अधिनियम एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का भी प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है।

गुड़गाँव मैराथन का पहला संस्करण

चर्चा में क्यों ?

गुरुग्राम मैराथन के पहले संस्करण के लिये अब तक 27,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- लेज़र वैली पार्क में मैराथन एक्सपो का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिभागियों को मैराथन किट दी जाएंगी।
- प्रशासन ने अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कई धावक समूहों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूल संघों, शहर के सभी कॉर्पोरेट्स और नागरिक समूहों के साथ कई बैठकें कीं।
- क्रिकेटर शिखर धवन इस आयोजन के ब्रांड एंबेसडर हैं। मैराथन को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से तीन प्रतिस्पर्द्धी हैं, जिनमें विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

सवेरा कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम करना है। इसकी शुरुआत मेदांता फाउंडेशन ने गुड़गाँव में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से की थी।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत दृष्टिबाधित लोग स्तन कैंसर की जाँच करेंगे क्योंकि उनमें प्राकृतिक स्पर्श संवेदनशीलता होती है।
- इस क्षमता के महत्त्व को चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों ने समझा, परखा और उपयोग किया है। दृष्टिबाधित व्यक्ति आधा सेंटीमीटर तक स्तन कैंसर का पता लगा सकते हैं, जबकि एक सामान्य डॉक्टर जाँच के बाद एक सेंटीमीटर तक इसका पता लगा सकता है।
  - अपने प्रारंभिक चरण में कार्यक्रम सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल, सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक और वज़ीराबाद के पीएचसी में लॉन्च किया जाएगा।
- CM के अनुसार देशभर में रोजाना करीब 90,000 महिलाएँ स्तन कैंसर के कारण अपनी जान गँवाती हैं।
  - उन्होंने झज्जर ज़िले में एम्स में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना का भी उल्लेख किया, जो 1,000 बेड से सुसज्जित है।

कैंसर

- परिचय:
  - यह एक जटिल और व्यापक शब्द है जिसका उपयोग शरीर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि तथा प्रसार से होने वाली बीमारियों के एक समूह का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
    - ये असामान्य कोशिकाएँ, जिन्हें कैंसर कोशिकाएँ कहा जाता है, स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर आक्रमण करने तथा उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती हैं।
  - एक स्वस्थ शरीर में कोशिकाएँ विनियमित तरीके से विकसित होती हैं, विभाजित होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, जिससे ऊतकों तथा अंगों के सामान्य संचालन की अनुमति मिलती है।
    - हालाँकि कैंसर के मामले में कुछ आनुवंशिक उत्परिवर्तन या असामान्यताएँ इस सामान्य कोशिका चक्र को बाधित करती हैं, जिससे कोशिकाएँ विभाजित होती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं।
- स्तन कैंसर
  - यह एक ऐसा रोग है जिसमें असामान्य स्तन कोशिकाएँ नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। यदि ध्यान न दिया जाए तो ट्यूमर पूरे शरीर में फैल सकता है और घातक हो सकता है।
    - स्तन कैंसर कोशिकाएँ दूध नलिकाओं और/या स्तन के दूध उत्पन्न करने वाले लोबूल के अंदर शुरू होती हैं।
    - प्रारंभिक रूप (स्वस्थानी) जीवन के लिये खतरा नहीं है। कैंसर कोशिकाएँ आस-पास के स्तन ऊतकों में फैल सकती हैं। इससे ट्यूमर बनता है जो गाँठ या मोटा होने का कारण बनता है।
    - आक्रामक कैंसर आस-पास के लिम्फ नोड्स या अन्य अंगों (मेटास्टेसिस) में फैल सकता है। मेटास्टेसिस घातक हो सकता है.
  - उपचार- व्यक्ति, कैंसर के प्रकार और उसके फैलाव पर आधारित होता है। उपचार में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा एवं दवाएँ शामिल हैं।

नोट :

सर्वाइकल कैंसर

- सर्वाइकल कैंसर महिला के गर्भाशय ग्रीवा (योनि से गर्भाशय का प्रवेश द्वार) में विकसित होता है।
- सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले (99%) उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) संक्रमण से संबंधित होते हैं जो यौन संपर्क के माध्यम से संचरित सबसे सामान्य विषाणु है।
  - दो HPV प्रकार (16 और 18) उच्च जोखिम वाले लगभग 50% सर्वाइकल प्री-कैंसर का कारण बनते हैं।
- वैश्विक स्तर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर चौथा सबसे सामान्य कैंसर है। वर्ष 2020 में विश्व भर में सर्वाइकल कैंसर के लगभग 90% नए मामले तथा मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुईं।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पदक तालिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन के छठे संस्करण, खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) 2024 में हरियाणा शीर्ष तीन राज्यों में उभरा।

मुख्य बिंदु:

- पूरे देश से 5,600 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में भाग लिया, जो 19 से 31 जनवरी, 2024 तक चला। तमिलनाडु ने चार शहरों - चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयंबटूर में KIYG 2024 की मेज़बानी की।
  - महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 53 काँस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स खिताब को अपने पास बनाए रखा है। यह उनका चौथा KIYG खिताब था।
  - मेज़बान राज्य तमिलनाडु 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 काँस्य पदक हासिल कर अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
  - हरियाणा, जिसने दो KIYG खिताब जीते हैं, 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 काँस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- KIYG 2024 तमिलनाडु में 26 खेलों में कुल 926 पदक - 278 स्वर्ण, 278 रजत और 370 काँस्य पदक - प्रस्तावित थे।
  - स्क्वैश ने इस वर्ष KIYG में पदार्पण किया, जबकि सिलंबम, स्वदेशी मार्शल आर्ट का एक रूप, इस खेल का हिस्सा रहा।

सिलंबम

- सिलंबम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट (Weapon-Based Martial Art) है जिसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक है।
- सिलंबम शब्द स्वयं एक खेल के बारे में बताता है, सिलम का अर्थ है 'पहाड़' (Mountain) और बम का अर्थ बाँस (Bamboo) है जिसका उपयोग मार्शल आर्ट के इस रूप में मुख्य हथियार के रूप में किया जाता है।
  - यह केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू (kalaripayattu) से निकटता रखता है।

हरियाणा बजट 2024-25

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 से 11 प्रतिशत अधिक है।

मुख्य बिंदु:

- बजट 2024-25 की मुख्य बातें:
  - वर्ष 2024-25 के लिये 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है।

नोट :

- इसमें राजस्व व्यय के रूप में 1,34,456.36 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के रूप में 55,420.25 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमश: 70.81% और 29.19% है।
- वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान स्थिर कीमतों (2011-12 की कीमतें) पर हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 6.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो वर्ष 2014-15 में 3,70,535 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 6,34,027 करोड़ रुपए हो गई है। ।
- वर्ष 2023-24 में, सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र में क्रमश: 52.6% और 18.1% अनुमानित है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने वर्ष 2023-24 में 8.6 %, 6.3% एवं 13.8% की वृद्धि दर्ज की है।
  - द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.3% अनुमानित की गई है।
- वर्ष 2022-23 में राज्य सार्वजनिक उद्यमों (PSE) का कारोबार 79,907 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो 11.94% की वृद्धि दर्शाता है।

- सीएम ने यह भी घोषणा की कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) से किसानों द्वारा लिये गए फसल ऋण पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक वर्ष और बिना दोहराव के) के दौरान राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का मौद्रिक उपाय है।
- अर्थव्यवस्था के ये अनुमान, समय के साथ आर्थिक विकास के स्तर में बदलाव की सीमा और दिशा को प्रकट करते हैं।
- इसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जैसे तीन व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार आर्थिक गतिविधि के अनुसार संकलित किया गया है।
- राज्य घरेलू उत्पाद को प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जैसे तीन व्यापक क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत किया गया है तथा इसे राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार आर्थिक गतिविधिवार संकलित किया जाता है।

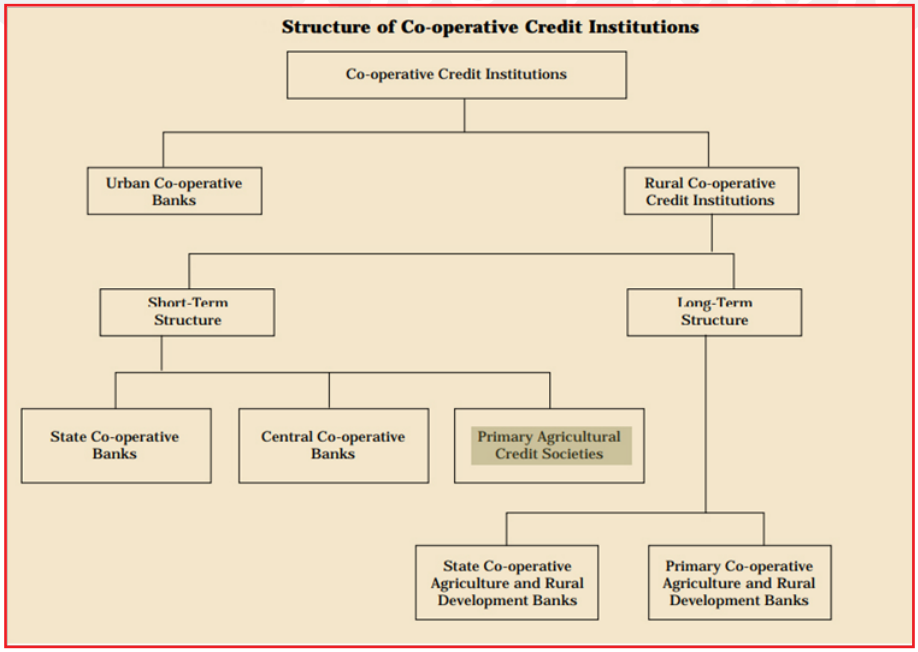

नोट :

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

- PACS ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियाँ हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों (State Cooperative Banks- SCB) की अध्यक्षता वाली त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
- SCB से क्रेडिट का हस्तांतरण ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों (District Central Cooperative Banks- DCCB) को किया जाता है, जो ज़िला स्तर पर काम करते हैं। ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक PACS के साथ काम करते हैं, साथ ही ये सीधे किसानों से जुड़े हैं।
- PACS विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों हेतु किसानों को अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करते हैं।
- पहला PACS वर्ष 1904 में बनाया गया था।

हरियाणा सरकार ने शवों के निपटान पर विधेयक वापस लिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक, 2024 को वापस ले लिया।

मुख्य बिंदु:

- विधेयक के अनुसार, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को शव को अपने कब्ज़े में लेने की शक्ति होगी यदि उसके पास "व्यक्तिगत ज्ञान या अन्यथा" से यह विश्वास करने का कारण हो कि शव का उपयोग परिवार के किसी सदस्य या व्यक्तियों के समूह द्वारा विरोध के लिये किया जा सकता है।
- मुद्दा यह उठाया गया कि विधेयक में प्रभावित पक्ष के लिये कोई उपाय उपलब्ध नहीं है क्योंकि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा किसी शव के दाह संस्कार पर आदेश पारित किया था, यदि परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।
  - विधेयक में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कोई अपील का प्रावधान नहीं था।
- इससे पहले, विधेयक का उद्देश्य मृतकों का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना था।
- किसी मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से कोई भी मांग उठाने या किसी भी मांग को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में किसी निकाय को विरोध या प्रदर्शन के साधन के रूप में उपयोग करने से रोकना आवश्यक है।
  - प्रस्तावित कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारी पर भी ज़ोर देता है जहाँ परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे उचित अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया जाता है।
- यह ध्यान रखना उचित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी मिलता है।

अनुच्छेद 21

- यह घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिये उपलब्ध है।
- जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व या जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण तथा जीने लायक बनाते हैं।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :